

प्रतिलिपि पत्र संख्या-सम्ब0 617/सत्तर-6- 2011-2 (388)/2011 दिनांक 14 सितम्बर, 2011 द्वारा  
अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज  
विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./1971/2011 दिनांक 28.7.2011  
एवं पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2326/2011 दिनांक 24.8.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का  
निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश  
राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय,  
बिल्हौर, कानपुर नगर को स्नातक स्तर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित  
योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र  
2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. शैक्षणिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के  
सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की बिना किसी शर्त के  
पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थायी) आदेश निर्गत  
किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित  
किया जाएगा ।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में  
उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्ठावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं  
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं  
किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था  
को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

दिनांक 26/11/11

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/4104/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक  
14 सितम्बर, 2011 के अनुपालन में इस आशय से पृष्ठांकित है कि प्रश्नगत महाविद्यालय का वर्ष  
2010-2011 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो कि शासन के मानकानुसार 60 प्रतिशत से  
अधिक है । अतः महाविद्यालय को वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में दिनांक 01.7.2011 से सम्बद्धता  
(स्थायी) प्रदान की जाती है ।
2. प्रबन्धक/सचिव(प्रबन्ध समिति) श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, बिल्हौर, कानपुर नगर को इस  
आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना  
सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र,  
ज्वानिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित)  
विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना एवं शासन के सम्बद्धता पत्र में इंगित कमियों की पूर्ति  
समय-सीमा के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सम्बद्धता की  
अनुज्ञा वापस लिए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./4104/2011, कानपुर ।
4. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./4104/2011, कानपुर ।
5. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./4104/2011, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./4104/2011, कानपुर ।

(सचिव वकारु इराना)  
कुलसचिव